

प्रवेश परीक्षा परिषद उ०प्र० तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, दिशियों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।

- ✓ द्विप्लोम इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उल्लेखित संस्था का होगा और विधिगत रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रदेश, परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद वादग्रस्त किया जाता है तथा वादग्रस्त के संबंध में मा. उच्चालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ द्विप्लोम इन फार्मसी पाठ्यक्रम संघालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिवर्तन कार्यालय को अवगत कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अधिक संस्था लत पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आदेशों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, छात्र-संख्या, उच्चतम अंक प्राप्त किये जाने वाला छात्र, कक्षागत हस्तक आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण प्रशिक्षण हेतु अपूर्णक वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संघालित पाठ्यक्रम को लागू करने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-पत्र, फर्निचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संघालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपयोग का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्वकीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उच्चतम एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०पी०आई० पी०सी०आई० परिषद के मानकनुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनसूचक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

रजिस्टर

पृ०सं०- प्राथमिकपरिषद सम्बद्धता/2021/3536-4805

दिनांक: 05/09/2021

प्रतिलिपि:-

प्रधान कार्यनिदेशक D N M INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY, SARAJ
SAHAJADI, BANTHARA KANPUR ROAD, LUCKNOW

(सुनील कुमार सोनकर)

रजिस्टर

